

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी:- हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 182/2023

जीसीएमएस नम्बर :- 2023/692

1. संतोष पत्नी मुख्यार जाति अहीर निवासी निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.....वादीया

बनाम

1. धर्मपाल पुत्रान मेहरचन्द जाति अहीर निवासी निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
2. लालचन्द पुत्रान मेहरचन्द जाति अहीर निवासी निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
3. चन्दगीराम पुत्रान मेहरचन्द जाति अहीर निवासी निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
4. मुख्यार पुत्रान मेहरचन्द जाति अहीर निवासी निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

..... प्रतिवादीगण

दावा बाबत- घोषणात्मक खातेदारी,

-:निर्णय:-

दिनांक:- 21/05/2024

वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 65 के ख0 न0 199 रकबा 0.57 है0, ख0 न0 271 रकबा 0.59 है0, ख0 न0 295 रकबा 0.29 है0, ख0 न0 356/107 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 357/174 रकबा 1.21 है0, ख0 न0 361/214 रकबा 0.67 है0, ख0 न0 362/58 रकबा 0.48 है0, ख0 न0 364/60 रकबा 0.52 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 4.35 है0, में प्रतिवादीगण का दर्ज रिकार्ड है।
2. याह कि वाके गाम निहालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 65 के ख0 न0 107 रकबा 0.60 है0, व खाता संख्या 174 रकबा 1.65 है0, ख0 न0 214 रकबा 1.34 है0 ख0 न0 264 रकबा 0.60 है0, ख0 न0 271 रकबा 0.59 है0, ख0 न0 293 रकबा 0.29 है0 ख0 न0 295 रकबा 0.29 है0, ख0 न0 30 रकबा 1.63 है0, ख0 न0 58 रकबा 0.71 है0, ख0 न0 60 रकबा 1.05 है0, मे धर्मपाल पुत्र मेहरचन्द हिस्सा 209/4872 भाग में से 0.28 है0, भूमि लालचन्द पुत्र मेहरचन्द हिस्सा 1/8 भाग में से 0.22 है0, भूमि यानि की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मिलकर 0.50 है0 भूमि का बेचान जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2021 को संतोष पत्नी मुख्यार के पक्ष में तहरीर करवाया है।



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)



3. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 में दर्ज भूमि आपसी सहमति से विभाजन करवा लिया गया उक्त विभाजन होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में ख0 न0 199, 271, 295, 356/107, 357/174, 361/214, 362/58, 364/60 प्रतिवादीगण के दर्ज हो गये।
4. यह कि वादीया अनपढ है उसने उक्त विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को दे दी थी लेकिन उक्त भूमि का नामान्तरण वादीया के पक्ष में नहीं हो सका।
5. यह कि गत सप्ताह वादीया द्वारा अपनी भूमि की नकल प्राप्त की तो उसे पता चला कि जो भूमि उसने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से खरीदी थी उसका नामान्तरण वादीया के पक्ष में नहीं हो सका व उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन होने से दावा घोषणात्मक खातेदारी का पेश करना आवश्यक हुआ है।
6. यह कि ख0 न0 199, 271, 295, 356/107, 357/174, 361/214, 362/58, 364/60 कुल किता 8 कुल रकबा 4.35 है0, में लालचन्द पुत्र हरचन्द धर्मपाल पुत्र मेहरचन्द के हिस्से में कम कर वादीया को 0.50 है0, भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।


वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

- (क). कि वाके ग्राम निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 65 के ख0 न0 199 रकबा 0.57 है0, ख0 न0 271 रकबा 0.59 है0, ख0 न0 295 रकबा 0.29 है0, ख0 न0 356/107 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 357/174 रकबा 1.21 है0, ख0 न0 361/214 रकबा 0.67 है0, ख0 न0 362/58 रकबा 0.48 है0, ख0 न0 364/60 रकबा 0.52 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 4.35 है0, में प्रतिवादी धर्मपाल पुत्र मेहरचन्द के 109/371 में से 0.28 है0, व लालचन्द पुत्र मेहरचन्द के 1/8 भाग में से 0.22 है0, भूमि कम कर वाद वादीया को 0.50 है0 भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे। व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा लिया गया ऋण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के शेष हिस्से में दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की और से इकबालिया जवाब पेश किया गया। वादीया का अनुतोष स्वीकार किया गया।



वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का आपसी राजीनामा पेश हो चुका है। आज भी प्रतिवादीगण धर्मपाल, लालचन्द स्वयं उपस्थित कोई एतराज पेश नहीं किया। विक्रय पत्र की प्रतिलिपि मूल पेश की वादी व प्रतिवादी ने अन्य कोई साक्ष्य कराने से इंकार किया। पत्रवाली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र, इकबालिया जवाब, जमाबन्दी के आधार पर वादीया का दावा स्वीकार किया जाता है। वादी को विक्रय पत्र के अनुसार खाता संख्या 65 में 0.50 है0, का खातेदार घोषित किया जाता है।


राजस्व अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

--:आदेश:-

"न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम वाके निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 65 के ख0 न0 199-रकबा 0.57 है0, ख0 न0 271 रकबा 0.59 है0, ख0 न0 295 रकबा 0.29 है0, ख0 न0 356/107 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 357/174 रकबा 1.21 है0, ख0 न0 361/214 रकबा 0.67 है0, ख0 न0 362/58 रकबा 0.48 है0, ख0 न0 364/60 रकबा 0.52 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 4.35 है0, में प्रतिवादी धर्मपाल पुत्र मेहरचन्द के 109/871 में से 0.28 है0, व लालचन्द पुत्र मेहरचन्द के 254/871 भाग में से 0.22 है0, भूमि कम कर वाद वादीया को 0.50 है0 भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। (1) रहन यदि कोई हो-तो सम्बन्धित खातेदार कास्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे /हिस्से/खसरा नम्बर के विरुद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

(हस्ताक्षर)

(हेमन्त कुमार)
उपसहायक अधिकारी बुहाना
जिला झुझुनूं (राज.) एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 27/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(हेमन्त कुमार)
उपसहायक अधिकारी बुहाना
जिला झुझुनूं (राज.) एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना



मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 182/2023

जीसीएमएस नम्बर :- 2023/692

सन्तोष बनाम धर्मपाल आदि

दावा बाबत- घोषणात्मक खातेदारी

-:निर्णय:-

वादी की ओर से श्री विकास कुमार एडवोकेट की व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

"न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 65 के ख0 न0 199 रकबा 0.57 है0, ख0 न0 271 रकबा 0.59 है0, ख0 न0 295 रकबा 0.29 है0, ख0 न0 356/107 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 357/174 रकबा 1.21 है0, ख0 न0 361/214 रकबा 0.67 है0, ख0 न0 362/58 रकबा 0.48 है0, ख0 न0 364/60 रकबा 0.52 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 4.35 है0, में प्रतिवादी धर्मपाल पुत्र मेहरचन्द के 109/871 में से 0.28 है0, व लालचन्द पुत्र मेहरचन्द के 254/871 भाग में से 0.22 है0, भूमि कम कर वाद वादीया को 0.50 है0 भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। (1) रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार कास्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे /हिस्से/खसरा नम्बर के विरुद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27/5/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



हस्ताक्षर

हेमन्त कुमार
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
झुंझुनू (राज.) एवं

पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना